



2026:AHC:33353

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या-2251 सन् 2026

सुमित कुमार एवं 1 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचीगण के अधिवक्ता : नीतीश पटेल, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उदय कुमार श्रीवास्तव
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, प्रत्यर्था संख्या 5 को नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं।
3. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता और याचिकाकर्ता संख्या 2 के पति वरिष्ठ तकनीकी सहायक (समूह-ख) के रूप में कार्यरत थे, जिनका निधन 27.11.2024 को हो गया।
4. इस रिट याचिका में प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्थागण को याचिकाकर्ता संख्या 1 के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का आदेश देने के लिए परमादेश जारी किया जाए।
5. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 का भाई पहले से ही सरकारी सेवा में है, हालांकि, उनका कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रत्यर्था संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
6. बार द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका यथावत का निपटारा किया जाता है। याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रत्यर्था संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रत्यर्था याचिकाकर्ता के दावे पर और उपयुक्तता, पात्रता, और यदि कोई प्रतिस्पर्धी हों

2

सुनवाई के बाद, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार दृढ़ता से विचार करेगा।

16 फरवरी, 2026

एन० एस० राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"